न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-116RAAJodhpur2023-49RTA223 Lrs of Manglaram Vs Lrs of Malukaram etc

मंगलाराम पुत्र श्री बालूराम फौत के का०मु०–

01. ओमप्रकाश पुत्र स्व० श्री मंगलाराम
02. हड़मानराम पुत्र स्व० श्री मगलाराम
03. विरादेवी पत्नी स्व० श्री मगलाराम
सभी जातियान् विश्नोई निवासी– विष्णुनगर, दुगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
04. अणचीदेवी पुत्री स्व० श्री मंगलाराम पत्नि श्री भवरलाल जाति बिश्नोई निवासी केतुमदा तहसील सेखाला जिला जोधपुर।
05. सुशीला पुत्र स्व० श्री मंगलाराम पत्नि श्री किशनलाल जाति बिश्नोई निवासी बुडकिया तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।
06. बाबूदेवी पुत्री स्व० श्री मंगलाराम पत्नि श्री जोधाराम जाति विश्नोई निवासी देचू तहसील देचू जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. मलूकाराम पुत्र श्री बालूराम फौत के का०मु०–
   1.1. पारूदेवी पत्नी स्व० श्री मलूकाराम
   1.2. मांगीदेवी पुत्री स्व० श्री मलूकाराम पत्नि श्री जगदीश
   दोनो जातियान् विश्नोई निवासी विष्णुनगर दूगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. मंगनाराम पुत्र श्री हरजीराम फौत के का० मु०:–
   2.1. मांगीलाल पुत्र स्व० श्री मंगनाराम
   2.2. प्रकाशचन्द पुत्र स्व० श्री मंगनाराम
   दोनो जातियान् विश्नोई निवासी विष्णुनगर दूगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
   2.3. भंवरी पुत्री स्व० श्री मंगनाराम पत्नी श्री भाखराराम मांजू बिश्नोई, निवासी धोलिया, तहसील.पोकरण जिला जैसलमेर।
   2.4. सेमी पुत्री स्व० श्री मंगनाराम, पत्नी श्री फरसाराम खोड बिश्नोई, निवासी विष्णुनगर दूगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर ।
   2.5. पिस्ता पुत्री स्व० श्री मंगनाराम, पत्नी श्री थानाराम बेनिवाल बिश्नोई, निवासी जोलियाली, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

3. सुखाराम पुत्र श्री हरजीराम
4. पांचाराम पुत्र श्री हरजीराम
   सभी जातियान् विश्नोई निवासी विष्णुनगर दूगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
5. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बालेसर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 दिसंबर 2022 सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या 61/2012 मलूकाराम के कायम मुकाम पारूदेवी व अन्य बनाम मंगलाराम के कायम मुकाम ओमप्रकाश इत्यादि

उपस्थित–

श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या पांच

नि र्ण य

दिनांक : 05 मार्च 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 61/2012 अनवान मलूकाराम के कायम मुकाम पारूदेवी व अन्य बनाम मंगलाराम के कायम मुकाम ओमप्रकाश इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 दिसंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 03 मार्च 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 खसरा नम्बर 414/14 रकबा 22.15 बीघा, खसरा नं. 265 रकबा 12.07 बीघा, खसरा नं. 465 रकबा 16 बीघा ग्राम विष्णुनगर एवं खसरा नंबर 334/4 रकबा 31.17 बीघा ग्राम दूगर तहसील बालेसर के संबंध धारा 88 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26 दिसंबर 2022 को वाद स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा मृतक प्रतिवादी मंगलाराम के विधिक प्रतिनिधियो को रेकर्ड पर लिये जाने का आदेश उनके विधिक प्रतिनिधि/अपीलार्थीगण को सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना दिनांक 12.02.2020 को पारित किया गया है जो विधि के अनिवार्य प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा लॉकडाउन समाप्त होने के बाद अपीलार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना तमाम कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत की है जो अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत वादी के वाद में तनकीवार निर्णय पारित न कर एक अस्पष्ट आधारहीन आदेश पारित किया है जो नॉनस्पीकींग आदेश की श्रेणी में आता है। यह उल्लेखनीय है कि वादी ने भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की होने एवं संयुक्त खरीद की होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधनों एवं संचिका के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित की गयी है, जिसकी कोई जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं हुई। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पहली बार जानकारी अपीलार्थीगण को तब हुई जब अपीलार्थी संख्या 2 उसके खेत की जमाबंदी की नकल की आवश्यकता होने से नकल लेने के लिये पटवारी हल्का के पास गया, तब पटवारी हल्का ने बताया कि आपके उक्त खेतो मे आपके साथ आधे हिस्से पर मलूकाराम का नाम दर्ज करने का सहायक कलक्टर बालेसर का निर्णय हमारे पास आया है, तब तुरन्त अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय में जाकर पता कर दिनांक 01.03.2023 को नकल के लिये आवेदन किया, जिस पर नकल तैयार होकर उसी दिन प्राप्त हुई। जिसको लेकर जोधपुर आकर अपने अधिवक्ता को दी उसके बाद यह अपील तैयार कर पहली बार जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। अपील को प्रस्तुत करने में जानबुझ कर कोई देरी नहीं की गयी है तथा न्यायहित में अपीलार्थीगण की अपील को अंदर म्याद सुमार किया जाना अतिआवश्यक है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स/ प्रतिवादी संख्या एक के वारिसान् पर सम्मनों की सम्यक तामील करवयो बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना बिना किसी वकालतनामा के उनकी ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत की उपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन पर पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी बंदोबस्त से से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 414/14 रकबा 22.15 बीघा एवं खसरा नं. 334/4 रकबा 31.17 बीघा वक्त सेटलमेंट अपीलांट के पिता मंगला वल्द बलू कौम विश्नोई के नाम दर्ज रहने से अपीलांट के पिता मंगलाराम की स्वअर्जित कृषि भूमि पायी जाती है। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे एवं अपीलाट्स के कथनों के मुताबिक खसरा नं. 265 रकबा 12.07 बीघा एवं खसरा नं. 465 रकबा 16 बीघा भूमि अपीलांट्स के पिता की खरीदसुदा भूमि है। रेस्पोडेंट्स की ओर से अपने वाद को साबित करने हेतु किसी प्रकार के दस्तावेज प्रदर्श नहीं करवाये जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत अपीलांट्स को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा मामले में विरचित तनकीयात पर अपना निष्कर्ष पारित किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किये जाने पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 61/2012 अनवान मलूकाराम के कायम मुकाम पारूदेवी व अन्य बनाम मंगलाराम के कायम मुकाम ओमप्रकाश इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 दिसंबर 2022 अपास्त किये जाते है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत मामले विरचित तनकीयात पर अपना निष्कर्ष पारित करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मूल वाद का विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर